न्यायालय अरूण कुमार सिन्हा, अपर सत्र न्यायाधीश–IV मुजफ्फरपुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या–455/2026
कथैया थाना कांड संख्या–72/2026
शिवनाथ सिंह उर्फ शिवनाथ पटेल बनाम बिहार राज्य

==

शिवनाथ सिंह उर्फ शिवनाथ पटेल पिता–स्व0 विन्देश्वर पटेल, उम्र–41 वर्ष, ग्राम–सिरसिया जगदीश, थाना–कथैया, जिला–मुजफ्फरपुर

.....................................आवेदक।

बनाम

राज्य ....विपक्षी।

अभियुक्त की ओर से–श्री मुकेश कुमार (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन की ओर से–श्री विकास नारायण सिन्हा (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

==

आदेश

11.05.2026 1. न्यायिक अभिरक्षाधीन आवेदक शिवनाथ सिंह उर्फ शिवनाथ पटेल की ओर से कथैया थाना कांड संख्या–72/2026 अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(2), 117(2), 109, 352, 351(2), 303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 14.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

2. आवेदक की ओर से दाखिल शपथ पत्र समर्थित जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस कांड में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से कोई अग्रिम/नियमित जमानत न तो इस न्यायालय में और न ही किसी वरीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। सूचक यह स्वीकार करता है कि उनलोगों के बीच भूमि विवाद है। उभय पक्ष के बीच केस काउंटर केस है तथा सूचक कथैया थाना कांड सं0–71/2026 से बचने के लिये उक्त कांड दर्ज कराया गया है। आगे निवेदन किये हैं कि काउंटर केस में के कुछ अभियुक्तगण को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश सत्रह द्वारा नियमित जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक हर शर्त मानने को तैयार है। वह जमानतदार देने को तैयार है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत देने की कृपा की जाय।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते करते हैं तथापि यह स्वीकृत करते हैं कि उभय पक्ष के बीच इसी घटना को लेकर वाद

लगातार
11.05.2026

एवं प्रतिलोम वाद संस्थित है तथा प्रतिलोम वाद के अभियुक्तों को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सत्रह के न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है।

4. सूचक ललन द्वारा पुलिस पदाधिकारी को दिये गये अपने लिखित में कहा है कि दिनांक 11.03.2026 को 09.00 बजे रात्रि में हमारे दरवाजा पर उसके भाई की लड़की की शादी थी उसमें प्रमोद पटेल, मोहन पटेल, आकाश पटेल, बच्चू पटेल, शिवनाथ पटेल, इशांत पटेल, राजू पटेल, चंदन पटेल, श्री पटेल, सोनू पटेल, सुमित्रा देवी एवं रानी देवी सभी साकिन–श्रीसियां जगदीश, थाना–कथैया, जिला–मुजफ्फरपुर आकर गाली–गलौज करने लगा। जब उसका पुत्र अभिजीत पटेल और भतीजा संदेश राय गाली–गलौज करने से मना किया तो सभी लोग मिलकर उसको मारने पिटने लगे। बच्चू पटेल लोहा के रॉड से उसके माथा पर मारकर फाड़ दिया जिससे खून बहने लगा तथा चंदन पटेल लोहे के रॉड से उसके भतीजा संदेश राय के उपर लोहे का रॉड चला दिया जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। अन्य सभी लोग उसके पुत्र एवं भतीजा को लाठी, डंडा और फैट से मारने लगे। जब उसकी पत्नी कोशिला देवी बचाने आई तो मोहन पटेल बांस के डंडा से सिर पर मारकर गिरा दिया जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिर गई, तभी सुमित्रा देवी और रानी देवी मिलकर उसकी पत्नी कोशिला देवी के कान का सोना का बाली और गर्दन का चांदी की हसुली निकाल ली। आस पड़ोस के लोग बचाने आये तब सभी लोग भाग गये। जाते हुये धमकी दिये कि किसी रोज पूरे परिवार को जान से मार देंगे। उसने अपनी पत्नी और पुत्र का इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुर ले गया जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुये डॉक्टर द्वारा एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज हुआ। मारपीट का कारण पूर्व का जमीनी विवाद है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का सारगर्भित बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदक एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध गाली गलौज करने से मना करने पर सूचक के पुत्र अभिजीत कुमार, भतीजा संदेश कुमार एवं पत्नी कौशल्या देवी के साथ मारपीट करने का सामान्य अभियोग है तथा आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट एवं प्रत्यक्ष अभियोग नहीं है। उभय पक्ष के बीच स्वीकृतितः जमीनी विवाद है। उभय पक्ष में घटना को लेकर वाद–प्रतिलोम वाद दाखिल है। **आवेदक के शपथ पत्र समर्थित जमानत**

लगातार
11.05.2026

आवेदनानुसार एवं कंडिका 60 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक दिनांक 14.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

6. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुये आवेदक शिवनाथ सिंह उर्फ शिवनाथ पटेल की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है।

7. तद्नुसार, आवेदक को विद्वान विचारण न्यायालय में मो0 10,000/– रुपये के बंध पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभूओं जिसमें **एक प्रतिभू आवेदक के निकट संबंधी होंगे** के द्वारा बंध पत्र निष्पादित करने तथा धारा–480(3)बी0एन0एस0एस0 के अनुबंधों के अनुपालन के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता हैः–

1. **आवेदक भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।**
2. **आवेदक अनुसंधानकर्ता/विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यकतानुसार सदेह उपस्थित रहेंगे।**
3. **आवेदक वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित किसी साक्षी/साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे तथा आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगे।**

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर या वाद विचारण के क्रम में आवेदक के लगातार तीन तिथियों तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायालय स्वविवेकानुसार या अभियोजन के आवेदन पर अभियुक्त का बंधपत्र खंडित कर सकेंगे। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब सम्प्रेषित करें।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति एवं मूल अभिलेख विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब सम्प्रेषित करें।

लेखापित
ह0
(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर सत्र न्यायाधीश–IV
मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर